

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर

दिनांक- 16.05.2026

कार्यालय आदेश क्रमांक-स्टेनो/2026/09

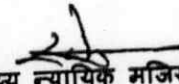
कार्यालय आदेश

मैं, रमेश कुमार, आरजेएस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व के कार्यालय आदेश क्रमांक स्टेनो/2026/07 दिनांक 29.04.2026 में प्रशासनिक कारणी/स्थानांतरण कारण से दिनांक 17.05.2026 की श्री राहुल, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 03, बीकानेर की रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त की जाती है एवं निम्नांकित शासकीय अयकाश में बीकानेर जिले के आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं कार्यों के निस्तारणार्थ निम्न अधिकारी को अधिकृत करता हूँ जो कि माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर के परिपत्र संख्या रुधा/2024/358 दिनांकित 18.09.2024 के अनुसार निर्धारित स्थान (पुराने न्यायालय परिसर में भूतल पर स्थित भवन जहाँ पूर्व में वाम न्यायालय बीकानेर का संचालन होता था) पर प्रातः 11.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य सम्पादित करेंगे तथा यदि किसी कारणवश राज्य सरकार, राजस्थान सरकार के आदेशानुसार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार राजकीय अयकाश के अगले ही दिन अचानक राजकीय अयकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे घोषित राजकीय अयकाश से पूर्व के राजकीय अयकाश के दिन जिस अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की गई है, वही अधिकारी ऐसे घोषित राजकीय अयकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान आने वाले इन्सवेस्ट व मृत्युकालीन ध्यान व अन्य विशेष कार्य भी उसी अधिकारी के द्वारा सम्पादित किए जायेंगे, जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है।

अयकाश दिवस जिसमें पीठासीन अधिकारी कार्य करेंगे	पीठासीन अधिकारी का नाम	पीठासीन अधिकारी के मोबाइल नम्बर	न्यायालय का नाम जिसके पीठासीन अधिकारी अयकाश दिवस में कार्य करेंगे।
17 मई, 2026	श्री डेनिश	9672720001	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बीकानेर

- नोट:- (1) उक्त राजकीय अयकाशों के दिन ताल्लुका मुख्यालय पर उपस्थित अधिकारी अपने थाना क्षेत्र के रिमाण्ड दे सकेंगे।
 (2) रिमाण्ड आवेदन अयकाशकालीन न्यायालय के समक्ष निर्धारित समयावधि के दौरान ही पेश किये जायेंगे तथा अनावश्यक विलम्ब करने पर संबंधित थानाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
 (3) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बीकानेर न्यायक्षेत्र की सीमाओं के अधीन आने वाले आरक्षी केन्द्रों द्वारा विशिष्ट न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों में न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले अभियुक्त/अभियुक्तों के संबंध में भी नियमानुसार व विधिनुसार न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड की कार्यवाही अधिकृत अयकाशकालीन मजिस्ट्रेट न्यायालय ही करेंगे।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर।

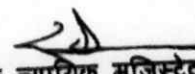
दिनांक:- 16.05.2026

पत्र प्रेषण क्रमांक:-स्टेनो/2026/ 487

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर को सूचनार्थ।
- 2 श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बीकानेर।
- 3 अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 03, बीकानेर
- 4 अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02, बीकानेर
- 5 कार्यालय उपनिदेशक अभियोजन विभाग, बीकानेर
- 6 अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, बीकानेर।

सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, बीकानेर को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा उपरोक्त को जरिये ई-मेल पेषित करने हेतु।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर।